

**मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

क्र./प्राथना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
23/021	136 CR Act	पटना	इबडा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
तुलसीराम		बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

**दिनांक** **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

8/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.08.2021 को पेश हो।

**उपखण्ड अधिकारी**  
छबड़ा जिला बारां (राज.)

25/21

पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी उपस्थित। प्रतिवादी गण के सम्मन वाद तालील अभ्यास। वादते ईतबार सम्मन पत्रावली दिनांक 25/08/21 को पेश हो।

**प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021**

22/21

पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के भा भूडक्या पर आज पेश हुई। तहसीलदार इबडा में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इबडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रकरण संख्या 23/021 धारा 136 CR Act अन्तगत तुलसीराम बनाम सरकार में पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी की शक्तेदारी भूमि ग्राम पटना की पकोवदी सम्मत 2076-2079 के खाता संख्या 17 में कालू मुतबन्ना अमान के भा अहीर सीरेड दर्ज रिकार्ड है जबकि दस्तावेज एवं मजमेआम में जानकारी/जान्य करने पर प्रार्थी का सही नाम तुलसीराम पुत्र अमान सिंह जाति अहीर है। इम्त खाता में ईतकाल खालते समय सहकन से बोलता नाम कालू दर्ज हो गया। अतः प्रार्थी का सही नाम तुलसीराम पुत्र अमान सिंह है। उम्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति हैं। अतः प्रार्थी का नाम कालू उर्फ तुलसीराम मुतबन्ना



# “प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूबडा जिला बारां (राजस्थान).....

## -: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी फू. 05441..... व भू.अ.नि. कईपानोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दूबडा तहसीलदार दूबडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पटना..... तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79..... में खाता संख्या 17..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	पटना	17	कालू पुजा अमान	कालू उर्फ तुलसीराम पुजा अमान उर्फ अमानसिंह अहीर



म  
(मनीषा तिवारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
छबडा, राजस्थान

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/...../60

दिनांक 22.10.2021.....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार दूबडा..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कालू उर्फ तुलसीराम पुजा अमान उर्फ अमानसिंह तिवारी पटना..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

म  
उपखण्ड अधिकारी  
छबडा, राजस्थान